

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

वाद सं०-एम० 139 /2020 धारा-144 द०प्र०सं०
 बिरेन्द्र कुम्हार वगैरह..... प्रथम पक्ष

किशोर कुम्हार वगैरह..... बनाम
 द्वितीय पक्ष

आदेश

19.11.2020.

प्रस्तुत वाद में आवेदक के आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर उक्त विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में शांति मंग होने की संभावना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा-144 के तहत दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ किया गया। साथ-ही साथ उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक के लिए रोक लगाया गया।

उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, थाना संख्या-58		चौहदी
<u>खाता सं०</u>	<u>प्लॉट सं०</u>	<u>रकबा</u>
317	372	37 डी०
		उ०-जगई कुम्हार
		द०-मंचन पुरान
		पू०-जगबन्धु
		प०-नदी

प्रथम पक्ष का पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:-

1. यह है कि प्रथम पक्षगण शांति प्रिय एवं कानून को मानने वाला व्यक्ति है। प्रथम पक्ष की ओर से शांति मंग होने की संभावना नहीं है।
2. यह है कि मौजा-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची के खाता संख्या-317, प्लॉट संख्या-372, रकबा-37 डी० जमीन को जमीन्दार रीदई नाथ ठाकुर से जीवन कुम्हार पिता-दुगा कुम्हार ग्राम-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु ने सन् 14/01/1952 ई० को रैयती बन्दोवस्ती प्राप्त किये हैं। प्राप्त करने के पश्चात दखलकार हुए एवं जमीन्दारी प्रथा के समय जमीन्दार को मालगुजारी देते थे तथा जमीन्दारी प्रथा समाप्ति के बाद अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी देते आ रहे हैं।
3. यह है कि विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति मंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रथम पक्ष के हित में रिक्त करते हुए इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

8/11

/2020

द्वितीय पक्ष का पक्ष

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं :-

1. यह है कि द्वितीय पक्षगण शांति प्रिय एवं कानून को मानने वाला व्यक्ति है। प्रथम पक्ष की ओर से शांति भंग होने की संभावना नहीं है।
2. यह है कि विवादित जमीन मौजा-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची के खाता संख्या-317, प्लॉट संख्या-372, रकवा-37 डी० से संबंधित है।
3. यह है कि उपरोक्त जायदाद द्वितीय पक्ष के खरीदगी जमीन जिसका खाता संख्या-111, प्लॉट संख्या-373, रकवा-53 डीसमील से सटा हुआ है। विवादित जमीन गैरमजरूआ है जिसको द्वितीय पक्ष के सदस्यगण का जमीन से सटा हुआ रहने के कारण कोड़कर खेती लायक बनाया गया है, जिसपर प्रतिवर्ष धान की खेती किया जाता है। इस वर्ष भी धान की खेती किया गया है, जो पक कर तैयार है।
4. यह है कि उपर वर्णित जमीन पर द्वितीय पक्ष का दखल देखते हुए अंचल कार्यालय से सरकारी मालगुजारी रसीद द्वितीय पक्ष के पिता हाड़िया कुम्हार के नाम से रकवा-36 डीसमील का कटते आ रहा है। प्रथम पक्ष कभी भी दखल में नहीं है। न ही खेती किया है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष के द्वारा दिया गया चौहदी गलत है। सही चौहदी निम्न है:- उत्तर-नीज द्वितीय पक्ष की खरीदगी जमीन, दक्षिण-जय कुम्हार, पूरब-उमाचरण दत्ता, पश्चिम-नदी है।
5. यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा सन् 1952 ई० को बन्दोवस्ती पट्टा के आधार पर दावा कर रहे हैं। जो सत्य नहीं है। उनका कागजात फर्जी एवं बनावटी है।
4. यह है कि प्रथम पक्षगण द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नियत से मुकदमा दायर किया गया है। प्रथम पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रथम पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधित करते हुए द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष रैयती बन्दोवस्त से प्राप्त करने के आधार पर दावा कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष विवादित जमीन के सटे खरीदगी जमीन है एवं खरीदगी जमीन के सटे गैरमजरूआ जमीन दखल को देखते हुए मालगुजारी रसीद के आधार पर दावा कर रहे हैं। विवादित जमीन पर मामला सीमांकन को लेकर प्रतीत होता है। उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाये रखते हुए अपने-अपने कागजातों के आधार पर अंचल कार्यालय में आवेदन देकर करा लें। इसी निरूपण के साथ वाद में अभिलेख की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

बुण्डू (राँची)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

बुण्डू (राँची)